



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112020-223308
CG-DL-E-25112020-223308

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3707]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/अग्रहायण 4, 1942

No. 3707]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

का.आ. 4211(अ).—केंद्र सरकार जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की उप-धारा 5 तथा धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री संजय प्रसाद, संयुक्त सचिव (पीएफसी-II), डीओई के स्थान पर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की संस्था निकाय का सदस्य मनोनीत करती है तथा इस प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 14 मई, 2019 के का.आ. 1733(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 14 मई, 2019, की अधिसूचना संख्या जेड.16013/52/2018-आईएनआई-II में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या क (छ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः -

“क. (छ) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली”

[फा. सं. जेड 16013/52/2018-आईएनआई-II]

पदमजा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2020

S.O. 4211(E).—In exercise of powers conferred by sub-section 5 and Section 7(1) of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry Act, 2008 the Central Government hereby nominates Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of the Institute Body of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry in place of Shri Sanjay Prasad, JS (PFC-II), DoE and for that purpose makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z.16013/52/2018-INI.II dated the 14th May, 2019, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1733 (E) dated 14th May, 2019:-

In the said notification, for serial number A (g) and the entry relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

“A.(g). Additional Secretary & Financial Advisor,

Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi”

[F. No. Z.16013/52/2018-INI-II]

PADMAJA SINGH, Jt. Secy.